Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2025/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 21 अगस्त, 2025
(30 श्रावण, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 68/ह०अ०17/2024/धा० 10/2025, दिनांक 21 अगस्त, 2025– हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) नियम, 2025।	3029—3040
	(केवल हिन्दी में)	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

मानव संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 अगस्त, 2025

संख्या का०आ० 68/ह०अ०17/2024/धा० 10/2025.– हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 10 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिनियम के अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 5 अगस्त, 2025 से लागू हुए समझे जाएंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (2024 का 17);

(ख) ''अनुलग्नक'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुलग्नक;

(ग) ''सुरक्षित कर्मचारी'' से अभिप्राय है, ऐसा संविदात्मक कर्मचारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन सेवा की सुनिश्चितता का लाभ दिया जाना है;

(घ) ''संविदात्मक सेवा के वर्ष'' से अभिप्राय है, संविदात्मक कर्मचारी के ऐसे रूप में प्रथम नियोजन/तैनाती की तिथि से प्रारंभ होने वाली 365 दिन की अवधि और इसके बाद प्रत्येक ऐसी अवधि, जिसके लिए इस अवधि के दौरान कम से कम 240 दिन के लिए उसके द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त किया गया था।

पात्रता का मानदण्ड।

3. (1) संविदात्मक सेवा के किसी भी वर्ष को इस अधिनियम के अधीन सेवा की सुनिश्चितता का लाभ देने के दौरान अनदेखा नहीं किया जाएगा, जहां संविदात्मक सेवा आंशिक रूप से निम्न पद पर और आंशिक रूप से उच्च पद पर थीः बशर्ते उस वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया गया है।

(2) जहाँ किसी वर्ष के दौरान संविदात्मक सेवा आंशिक रूप से निम्न पद पर और आंशिक रूप से उच्च पद पर थी, ऐसे मामले में संविदात्मक कर्मचारी का नाम उस समकक्ष पद, जिस पर वह वर्तमान में कार्यरत है, के लिए विचारा जाएगा। अनुलग्नक एक में दिए गए उदाहरण संविदात्मक सेवा के वर्ष की गणना के लिए विचार में लाए जा सकेंगे।

(3) जहां संविदात्मक सेवा आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के किसी विभाग और आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के अधीन किसी बोर्ड/निगम/प्राधिकरण में किसी पद पर रही है, तो कुल समेकित सेवा की गणना संविदात्मक पांच वर्ष सुनिश्चित करने के प्रयोजन से की जाएगी।

(4) जहां कोई कर्मचारी नियमित आधार पर प्रारम्भिक रूप से नियुक्त किया गया था किन्तु बाद में उसकी सेवाएं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैरिट सूची की समीक्षा/रद्दकरण के कारण रद्द कर दी गई थी और संविदा पर नियोजित या तैनात किया गया था, नियमित आधार पर उसी पिछली सेवा की गणना, उपरोक्त उप–नियम (2) के अध्यधीन नियमित और संविदात्मक सेवा के मध्य विराम की अवधि को निकालते हुए संविदात्मक सेवा के पांच वर्ष सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

(5) प्रत्येक संविदात्मक कर्मचारी को पात्र संविदात्मक कर्मचारी के रूप में विचार किए जाने के लिए अनुलग्नक–ख में दिए गए प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अयोग्यताएं।

4. कोई भी व्यक्ति–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

इस अधिनियम के अधीन सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

समकक्ष पद सुनिश्चित करने की रीति।

5. समुचित प्राधिकारी समकक्ष पद को सुनिश्चित करने के दौरान निम्नलिखित रीति का पालन करेगा, अर्थात्:–

(i) यदि समकक्ष पद की पहचान सहज ही हो जाती है, तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा वित्त विभाग को दिनांक 16 अगस्त, 2024 से प्रभावी ''अधिसंख्य पद" सृजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि सुरक्षित कर्मचारी को उस पद पर व्यक्तिगत रूप में समायोजित किया जा सके। वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर, समुचित प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा।

(ii) यदि समकक्ष पद की पहचान सहज ही नहीं की जाती है, अथवा जहां पात्र संविदात्मक कर्मचारी के पद की नाम पद्धति, विद्यमान स्वीकृत नियमित पद से भिन्न है, तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा वेतनमान शैक्षणिक योग्यताएं कृतव्यों के स्वरूप के सुझाव के साथ प्रस्तावित नामपद्धति के साथ 16 अगस्त, 2024 से प्रभावी अधिसंख्य पद के सृजन के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार वित विभाग के परामर्श से समकक्ष पद निर्धारित करेगी और सरकारी संगठन से प्रस्ताव के प्राप्त होने पर नब्बे दिन के भीतर ऐसे निर्धारण और वित्त विभाग की सहमति सूचित करेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसंख्य पद के सृजन के बाद भूतलक्षी प्रभाव से अनुलग्नक घ में नमूना प्ररूप के अनुसार सुरक्षित सेवा के आदेश जारी किए जाएंगे।

अधिशेष सुरक्षित कर्मचारियों का समायोजन।

6. यदि किसी सरकारी संगठन में सुरक्षित कर्मचारी अधिशेष रह जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची किसी अन्य सरकारी संगठन को अपेक्षा अनुसार उनके समायोजन के लिए सरकार को भेजी जाएगी।

सेवा करने का दायित्व।

7. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी सुरक्षित कर्मचारी को लोकहित में हरियाणा राज्य के भीतर और बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी समय प्रतिनियुक्त या स्थानांतरित किया जा सकता है।

पारिश्रमिक निर्धारण।

8. (1) पारिश्रमिक निर्धारण हेतु, अधिसंख्य पद की स्वीकृति के समय पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत वृतिमूलक वेतन सत्र के न्यूनतम 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, की दर पर वृद्धि जोड़ने के बाद इस प्रकार प्राप्त आंकड़े को अनुलग्नक–'ग' से संलग्न उदाहरण और नमूने के अनुसार निकटतम 100 में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन हेतु 50 से कम अंश की गणना नहीं की जाएगी और 50 या उससे अधिक के अंश को आगामी 100 में पूर्णांकित किया जाएगा।

टिप्पण: जहाँ महँगाई भत्ता अथवा कोई अन्य भत्ता पारिश्रमिक पहले से ही दिया जा रहा है, तो उसे इन नियमों के अधीन पारिश्रमिक का निर्धारण करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

वार्षिक वेतनवृद्धि।

9. (1) वार्षिक वेतनवृद्धि वृतिमूलक वेतन स्तर में वर्ष में दौरान एक बार अनुज्ञेय होगी। वेतनवृद्धि की तिथि, उस तिथि से पूर्व अर्हक सेवा से अधिक पूर्ण होने के अध्यधीन प्रतिवर्ष या तो प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई होगी। प्रथम वेतनवृद्धि पात्रता के अध्यधीन प्रथम जुलाई, 2025 को अनुज्ञेय होगी।

(2) जहाँ आरंभिक पारिश्रमिक वृतिमूलक वेतन स्तर के दो सैल/स्तरों के बीच निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे मामले में प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि ठीक आगामी सैल/स्तर तक की राशि के बराबर अनुज्ञेय होगी।

महंगाई भत्ता।

10. सुरक्षित कर्मचारी को प्रथम जनवरी 2025 से ही नियमित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के बराबर महंगाई भत्ते का हकदार होगा। 31 दिसम्बर, 2024 तक महंगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश की हकदारी।

11. सुरक्षित कर्मचारी, नियुक्ति की तिथि से पूर्व उसे पहले से ही अनुज्ञेय दर पर आकस्मिक अवकाश और चिकित्सकीय अवकाश के लिए हकदार होगा। तथापि, महिला सुरक्षित कर्मचारी, दस दिन की बजाय किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 22 दिन के अध्यधीन किसी कैलेंडर मास के दौरान दो दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए हकदार होगी।

सेवा पुस्तिका।

12. सुरक्षित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट रीति में अनुरक्षित की जाएगी।

अनुशासन, शास्तियां और अपीलें।

13. अनुशासन, शास्तियां और अपीलों से संबंधित मामलों में प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी इस प्रयोजन के लिए जब तक पृथक नियम नहीं बनाए जाते हैं, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के द्वारा शासित होंगे। जब तक कि इस उद्देश्य के लिए पृथक नियम नहीं बनाए जाते।

छूट की शक्ति।

14. जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो यह आदेश द्वारा, लिखित में लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध से छूट दे सकती है।

अनुलग्नक–क

[देखिए नियम 3(2)]

5 वर्ष या उससे अधिक की संविदा सेवा की गणना के उदाहरण

उदाहरण 1: श्रीमति भ म य को आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग–। या भाग–।। अथवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से या संबंधित सरकारी संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिनांक 01.03.2018 से प्रारंभ में पूर्णकालिक आधार पर संविदा पर नियोजित किया गया था और वह दिनांक 01.09.2021 से 28.02.2022 तक लगभग 6 मास के लिए चिकित्सकीय आधार पर अवकाश पर रही थी, जिसके लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

उसकी 5 वर्ष की संविदात्मक सेवा की गणना निम्नानुसार की जाएगी।

			टिप्पणी, यदि कोई हो
1	संविदात्मक कर्मचारी का नाम	भ म य	
2	संविदा पर प्रारंभिक तैनाती की तिथि	01.03.2018	सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनाती
3	चिकित्सकीय आधार पर अवकाश के कारण सेवा में विराम	01.09.2021 से 28.02.2022	
4	संविदात्मक सेवा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के दौरान विराम, यदि कोई हो	01.03.2018 से 28.02.2021 की अवधि के दौरान कोई विराम नहीं, संविदात्मक के प्रत्येक वर्ष के दौरान 240 दिन से अधिक के लिए मजदूरी प्राप्त की है	उस द्वारा दिनांक 28.02.2021 तक तीन वर्ष की संविदात्मक सेवा पूर्ण कर ली गई है।
5	चतुर्थ वर्ष में संविदात्मक सेवा में विराम यदि कोई हो,	चतुर्थ वर्ष दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक छह मास का विराम, दिनांक 01.09.2021 से 28.02.2022 तक संविदात्मक सेवा के चतुर्थ वर्ष के दौरान 240 दिन से कम की मजदूरी प्राप्त की है	चतुर्थ वर्ष में 240 दिन से कम की मजदूरी प्राप्त की गई, इसलिए 5 वर्ष की संविदात्मक सेवा के प्रयोजन के लिए चतुर्थ वर्ष की गणना नहीं की जाएगी
6	पांचवे वर्ष में संविदात्मक सेवा में विराम यदि कोई हो	पांचवा वर्ष दिनांक 01.03.2022 से 28.02.2023 तक; कोई विराम नहीं है, संविदात्मक सेवा के इस वर्ष के दौरान 240 दिन से अधिक के लिए मजदूरी प्राप्त की है	उसके द्वारा चार वर्ष की संविदात्मक सेवा पूर्ण कर ली गई है।
7	छठे वर्ष में संविदात्मक सेवा में विराम यदि कोई हो	छठा वर्ष 01.03.2023 से 28.02.2024 तक; कोई विराम नहीं, संविदात्मक सेवा के वर्ष के दौरान 240 दिन से अधिक की मजदूरी प्राप्त की है	उसके द्वारा दिनांक 28.02.2024 को अर्थात् कट–ऑफ तिथि से पूर्व पांच वर्ष की संविदात्मक सेवा पूर्ण कर ली गई है।
8	दिनांक 15.08.2024 तक पूर्ण संविदात्मक सेवा के वर्ष	पांच	
9	दिनांक 15 अगस्त 2024 की स्थिति	वह सेवा में कार्यरत है	
10	क्या वह अधिनियम के अधीन सेवा की सुनिश्चितता के लाभ के लिए पात्र है?	हाँ, उसने पांच वर्ष से अधिक की संविदात्मक सेवा पूर्ण कर ली है और वर्तमान में सेवा में कार्यरत है, अतः वह सेवा की सुनिश्चितता के लाभ के लिए पात्र है।	

उदाहरण 2: श्री क ख ग को दिनांक 01.08.2017 से प्रारंभ में सिंचाई विभाग में सेवादार के रूप में संविदा आधार पर नियोजित किया गया था और नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के कारण दिनांक 25.12.2020 से उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया था। उसे दिनांक 12.08.2022 से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड में चालक के रुप में पुनः तैनात किया गया था। अधिनियम के अधीन सुरक्षित सेवा के लाभ के प्रयोजन के लिए उसकी संविदात्मक सेवा की गणना निम्नानुसार की जाएगी।

			टिप्पणी, यदि कोई हो
1	संविदात्मक कर्मचारी का नाम	क ख ग	
2	संविदा पर प्रारंभिक तैनाती की तिथि	01.08.2017	सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनाती
3	सेवा समाप्ति के कारण विराम	26.12.2020 से 11.08.2022	
4	संविदात्मक सेवा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के दौरान विराम, यदि कोई हो	01.08.2017 से 31.07.2020 की अवधि के दौरान कोई विराम नहीं, संविदात्मक के प्रत्येक वर्ष के दौरान 240 दिन से अधिक के लिए मजदूरी प्राप्त की है	उस द्वारा दिनांक 31.07.2020 तक तीन वर्ष की संविदात्मक सेवा पूर्ण कर ली है।
5	चतुर्थ वर्ष में संविदात्मक सेवा में विराम यदि कोई हो,	चतुर्थ वर्ष दिनांक 01.08.2020 से 31.07.2021 तक और दिनांक 26.12.2020 से 31.07.2021 तक छह मास का विराम, संविदात्मक सेवा के चतुर्थ वर्ष के दौरान 240 दिन से कम की मजदूरी प्राप्त की है	चतुर्थ वर्ष में 240 दिन से कम की मजदूरी प्राप्त की गई, इसलिए 5 वर्ष की संविदात्मक सेवा के प्रयोजन के लिए चतुर्थ वर्ष की गणना नहीं की जाएगी
6	पांचवे वर्ष में संविदात्मक सेवा में विराम, यदि कोई हो	पांचवा वर्ष दिनांक 01.08.2021 से 31.07.2022 तक; संपूर्ण वर्ष के दौरान कोई मजदूरी प्राप्त नहीं की गई है। इस वर्ष की गणना नहीं की जाएगी	कोई मजदूरी प्राप्त नहीं की गई, इसलिए इस वर्ष की गणना नहीं की जाएगी। उसने संविदात्मक सेवा के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं
7	छठे वर्ष में संविदात्मक सेवा में विराम, यदि कोई हो	छठा वर्ष 01.08.2022 से 31.07.2023 तक; 01.08.2022 से 11.08.2022 तक 11 दिन का विराम और संविदात्मक सेवा के इस वर्ष के दौरान 240 दिन से अधिक की मजदूरी प्राप्त की गई है	उसने दिनांक 31.07.2023 को चार वर्ष की संविदात्मक सेवा पूरी कर ली है
8	सतवें वर्ष में संविदात्मक सेवा में विराम, यदि कोई हो	सातवां वर्ष दिनांक 01.08.2020 से 31.07.2021 तक, इस वर्ष के दौरान कोई विराम नहीं है और संविदात्मक सेवा के इस वर्ष के दौरान 240 दिन से अधिक की मजदूरी प्राप्त की है।	उसने दिनांक 31.07.2024 को पांच वर्ष की संविदात्मक सेवा पूरी कर ली है
9.	दिनांक 15.08.2024 तक पूर्ण संविदात्मक सेवा के वर्ष	पांच	
10.	दिनांक 15 अगस्त 2024 की स्थिति	वह सेवा में कार्यरत है	
11.	क्या वह अधिनियम के अधीन सेवा की सुनिश्चितता के लाभ के लिए पात्र है?	हाँ, उसने पांच वर्ष से अधिक की संविदात्मक सेवा पूर्ण कर ली है और वर्तमान में सेवा में कार्यरत है, अतः वह सेवा की सुनिश्चितता के लाभ के लिए पात्र है।	

अनुलग्नक–ख

{देखिए नियम 3(5)}

आवेदन प्ररूप

प्रेषक

_____

_____

_____

प्रेषित

कार्यालय अध्यक्ष ––––

_____

_____

महोदय/महोदया

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार के परिपत्र संख्या – दिनांक ––––– के सन्दर्भ में, मैं, अधिनियम के अधीन सेवा की सुनिश्चितता के लाभ के प्रयोजन के लिए अपने विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूं:

1	आवेदक का नाम						
2	पदनाम/वर्तमान में धारित पद						
3	प्रारम्भ से अब तक सेवा के प्रत्येक संविदात्मक वर्ष का वर्षवार विवरण						
	क्रम संख्या	पद/धारित जॉब के कृत्य	विभाग/सरकारी संगठन का नाम	सेवा के संविदात्मक वर्ष की तिथि	संविवदात्मक सेवा की तिथि उदाहरणार्थ के तौर पर दिनांक 01.06.2015 से आगे	नियोजन का ढंग	प्राप्त किए गए वेतन के दिनों की संख्या
	1	सेवादार	स्वास्थ्य विभाग		01.06.2015 से 31.05.2016	आउटर्सोसिंग पॉलिसी भाग 1 के अधीन नियोजित	365 दिन
	2	सेवादार	स्वास्थ्य विभाग		01.06.2016 से 31.03.2017	यथोपरि	304 दिन
	3	–	–		01.04.2017 से 31.05.2017	सेवा में विराम के कारण कोई वेतन प्राप्त नहीं किया	
	4	–	–		01.06.2017 से 31.08.2017	सेवा में विराम के कारण कोई वेतन प्राप्त नहीं किया	273 दिन
	5	लिपिक	कृषि		01.09.2017 से 31.05.2018	आउटर्सोसिंग पॉलिसी भाग–II के अधीन पुनः नियोजित	
	6	लिपिक	कृषि		01.06.2018 से 31.05.2019	यथोपरि	365 दिन

7	लिपिक	कृषि		01.06.2019 से 31.05.2020	यथोपरि	365 दिन
8	लिपिक	कृषि		01.06.2020 से 31.12.2020	यथोपरि	214 दिन (इस वर्ष की पांच वर्ष की संविदात्मक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना नहीं की जाएगी)
9	–	–		01.01.2021 से 31.05.2021	सेवा में विराम	
10	–	–		01.06.2021 से 31.07.2021	सेवा में विराम	
11	चालक	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)		01.08.2021 से 31.05.2022	आउटर्सोसिंग पॉलिसी भाग–I के अधीन पुनः नियोजन	304 दिन
12	–	–		01.06.2022 से 31.08.2022	सेवा में विराम के कारण कोई वेतन प्राप्त नहीं किया	273 दिन
13	चालक	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)		01.09.2022 से 31.05.2023	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से	
14	चालक	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)		01.06.2023 से 31.05.2024	यथोपरि	366 दिन
15	चालक	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)		01.06.2024 से 15.08.2024	यथोपरि	76 दिन (इस वर्ष की पांच वर्ष की संविदात्मक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना नहीं की जाएगी)

टिप्पणः यदि पद या सरकारी संगठन में कोई परिवर्तन हुआ है या आउटसोर्सिंग भाग–I या भाग–II या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियोजन के ढंग में कोई परिवर्तन हुआ है या एक वर्ष की संविदात्मक सेवा में विराम है, इस अवधि के दौरान कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक के प्रयोजन हेतु संविदात्मक सेवा के एक वर्ष की तिथि में किसी परिवर्तन के बिना ऐसे परिवर्तन की तिथि से एक नई परिविष्टि की जाएगी

4	वर्तमान में धारित पद/जॉब कृत्य में तैनाती की तिथि	
5	क्या प्रारम्भिक नियुक्ति आउटर्सोसिंग पॉलिसी भाग–I या भाग–II या अन्यथा के माध्यम से हुई है:	

	6	क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पोर्ट किया गया है अथवा नहीं, यदि हाँ, तो पोर्ट करने की तिथि वर्णित करें:	
	7	विराम की अवधि, यदि कोई हो वर्णित करें:	
	8	विराम का कारण, यदि कोई हो	
	9	प्राप्त वेतन/मजदूरी (16 अगस्त 2024 से पूर्व के अंतिम वेतन की रसीद या वेतन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	10	स्व–घोषणा और पूर्व सेवा का प्रमाण और दस्तावेजों की प्रमाणिकता का प्रमाण भी संलग्न करें।	
	11	अन्य जानकारी, यदि कोई, जो आप जोड़ना/संलग्न करना चाहें:	
		हस्ताक्षर	
		आवेदक का नाम	
		मोबाइल नम्बर	
		पे कोर्ड, यदि कोई हो	
		कार्यालय प्रयोग हेतु	
		संख्या ——— ——————तिथि ————	
	(1)	15.08.2024 तक संविदात्मक सेवा की अवधि	
	(2)	विभाग द्वारा संविदात्मक सेवा के सत्यापन संबधी टिप्पणी	
	(3)	क्या तैनाती निम्न के सापेक्ष की गई है: (क) वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित वेतनमान वाले नियमित या संविदात्मक पद पर, आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग–II के अधीन तैनाती, यदि हाँ, तो अनुमोदित वेतनमान या एकमुश्त राशि, जैसी भी स्थिति हो, का विवरण करें अथवा (ख) आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग–I के अधीन अथवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से और निगम मजदूरी दरों के अनुसार प्राप्त की गई मजदूरी।	
	(4)	वर्तमान में धारित पद का पदनाम	
	(5)	सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 16/71/2021–जी.एस.II, दिनांक 19 जनवरी, 2022 के अनुसार निर्धारित जॉब कृत्यों का स्तर:	
	(6)	टिप्पणी, यदि कोई हो	
		कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर	
		पदनाम	
		कार्यालय का पता	
		विभाग	

अनुलग्नक–ग

{देखिए नियम 8}

परिश्रमिक निर्धारित करने के आदेश को उदाहरण और नमूना

(आदर्श गणनाओं सहित)

विभाग का नामः.....

परिश्रमिक निर्धारण आदेश

क्रमांकः..... दिनांकः.....

1	आवेदक का नाम, यदि इस अधिनियम के अधीन आता हो	भ म य
2	वर्तमान में धारित पदनाम/पद/जॉब कृत्य	लिपिक
3	सत्यापित संविदात्मक सेवा की अवधि	10 वर्ष से अधिक
4	पूर्व में प्राप्त किए गए पारिश्रमिक/ मजदूरी/ वेतन (भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो)	22,000/26,390/28,540
5	अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय वृद्धि की दर	15 प्रतिशत की दर
6	संविदात्मक नियोजन का स्वरूपः	
i.	क्या आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग–II के अधीन वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित वेतनमान या नियत राशि वाले नियमित संविदात्मक पद पर नियोजित है (विवरण दें)	
ii.	क्या आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग–I के अधीन नियोजित है (वेतन का विवरण दें)	
iii.	क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियोजित हैं (निगम मजदूरी दर का विवरण दें)	
7	समकक्ष नियमित पद का पदनाम, वृतिमूलक वेतन स्तर और ग्रुप	लिपिक, स्तर–3 (21,700–69,100)
8	अधिनियम के अधीन पारिश्रमिक निर्धारणः	

उदाहरण–I

		पारिश्रमिक	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	पूर्व में प्राप्त पारिश्रमिक	22,000	–––
2	न्यूनतम वेतन स्तर	21,700	न्यूनतम एफ0पी0एल0–3, 21,700/– रूपए
3	15 प्रतिशत की दर पर वृद्धि	**3,255**	–––
4	न्यूनतम का कुल जमा 15 प्रतिशत वृद्धि	**24,955**	–––
5	पारिश्रमिक का निर्धारण, पूर्व में प्राप्त अथवा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय पारिश्रमिक, जो भी अधिक हो के बराबर किया जाएगा।	**25,000**	**निकटतम सौ में पूर्णांकित**
6	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि	**01.07.2025**	**पात्रता के अध्यधीन**
7	01.07.2025 को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद पारिश्रमिक	**25,200**	**प्रारंभिक निर्धारण के तुरंत बाद वृतिमूलक वेतन स्तर में आगामी स्तर**

आगामी वृद्धि की तिथिः प्रथम जुलाई, 2026 और आगे भी इसी प्रकार

उदाहरण–II

		पारिश्रमिक	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	पूर्व में प्राप्त पारिश्रमिक	**26,390**	––
2	न्यूनतम वेतन स्तर	**21,700**	एफ0पी0एल0–3, न्यूनतम 21,700/– रूपए

3	15 प्रतिशत की दर पर वृद्धि	**3,255**	——
4	न्यूनतम का कुल जमा 15 प्रतिशत वृद्धि	**24,955**	——
5	पारिश्रमिक का निर्धारण, पूर्व में प्राप्त अथवा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय पारिश्रमिक, जो भी अधिक हो के बराबर किया जाएगा।	**26,400**	**पूर्व में प्राप्त** पारिश्रमिक **के बराबर जो कि 24,955 से ज्यादा है।**
6	01.07.2025 को प्रथम वार्षिक वृद्धि के बाद पारिश्रमिक	**26,800**	**प्रारंभिक निर्धारण के तुरंत बाद वृतिमूलक वेतन स्तर में आगामी स्तर**
	अगली वृद्धि की तिथिः प्रथम जुलाई, 2026 और आगे भी इसी प्रकार		

उदाहरण–।।।

		पारिश्रमिक	**टिप्पणी, यदि कोई हो**
1	पूर्व में प्राप्त पारिश्रमिक	**28,540**	——
2	न्यूनतम वेतन स्तर	**21,700**	फ0पी0एल0–3, न्यूनतम 21,700/–रूपए
3	15 प्रतिशत की दर पर वृद्धि	**3255**	
4	न्यूनतम का कुल जमा 15 प्रतिशत	**24,955**	
5	पारिश्रमिक का निर्धारण, पूर्व में प्राप्त अथवा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय पारिश्रमिक, जो भी अधिक हो के बराबर किया जाएगा।	**28,540**	**पूर्व में प्राप्त पारिश्रमिक के बराबर जो कि 24,955 से ज्यादा है।**
6	01.07.2025 को प्रथम वार्षिक वृद्धि के बाद पारिश्रमिक	**29,300**	**प्रारंभिक निर्धारण के तुरंत बाद वृतिमूलक वेतन स्तर में आगामी स्तर**
	अगली वृद्धि की तिथिः प्रथम जुलाई, 2026 और आगे भी इसी प्रकार		

वेतन निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–घ

{देखिए नियम 5(2)}

सेवा सुरक्षा प्रस्ताव का नमूना

प्रेषक,

नियुक्ति प्राधिकारी

प्रेषित

आवेदक का नाम ————

पताः

यादी क्रमांकः..... दिनांकः–

विषयः– **हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के अधीन सेवा सुरक्षा के आदेश।**

आपके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना ——————दिनांक —————— के अधीन आप द्वारा प्रस्तुत आपके आवेदन दिनांक —————— के संदर्भ में, आपको निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक सेवा सुरक्षा के लाभ हेतु पात्र घोषित किया जाता हैः–

1. सेवा सुरक्षा के लाभ, ———— विभाग में, ... के पद के लिए दिनांक ..... से प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि आप उस दिन सेवा में कार्यरत हों।
2. इस पद का वृतिमूलक वेतन स्तर———————————— है और आपका पारिश्रमिक इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नियत किया जाएगा।
3. स्वास्थ्य देखभाल, मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान, मातृत्व लाभ (महिला कर्मचारी के मामले में) के प्रयोजन के लिए अनुग्रह अनुकम्पा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति का लाभ, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के उपबंध के अनुसार अथवा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित अनुसार होंगे।
4. आपकी सेवाएं हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन शासित की जाएगी।
5. आपकी सेवाएं हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (17 का 2024) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शासित की जाएगी।
6. सेवा से त्यागपत्र और सेवा की समाप्ति हेतु, दोनों पक्षों द्वारा एक मास का नोटिस या उसके बदले में एक मास का वेतन की स्थिति में, एक माह का नोटिस अथवा उसके बदले एक मास का वेतन देना अनिवार्य होगा।
7. इस पत्र में उल्लिखित नहीं किए गए प्रयोजनों हेतु, आपकी सेवाएं, उन अनुदेशों द्वारा शासित होगी, जो हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर उक्त अधिनियम के अधीन जारी किए जाएं।
8. आपके चरित्र, पूर्ववृत्त और व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रमाणिकता का सत्यापन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा करवाया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर, नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में कोई प्रतिकूल तथ्य आता है, तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
9. यदि आप विवाहित हो, तो आप एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। यदि आप अविवाहित हो, तो विवाह के तुरन्त पश्चात् आपको समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार विभाग को आपके द्वारा दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
10. आप नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देशाधीन भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।
11. बहुविवाह संबंधी घोषणा, आचरण नियमों के संबंध में घोषणा, आप द्वारा इस पत्र की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर देनी होगी।

यदि आप उपरोक्त वर्णित निबंधनों और शर्तों पर इस सेवा सुरक्षा प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हो, तो आपको तुरंत अपनी अस्वीकृति रिपोर्ट अपने कार्यालय अध्यक्ष को इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि आप निर्धारित समय में अस्वीकृति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते, तो यह माना जाएगा कि आपने यह सेवा सुरक्षा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

दिनांकः चंडीगढ़, ————————2025

नियुक्ति प्राधिकारी का पदनामः ————————

पृष्ठांकन संख्या ———————— दिनांकः ————————

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित की जाती है, जहां आवश्यक होः—

1. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा (लेखा एवं हकदारी/संपरीक्षा), चंडीगढ़
2. कोषाधिकारी, ————————
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा कौशल रोजगार निमग लिमिटेड, पंचकुला

आंतरिक वितरणः—

स्व–घोषणा

(संविदात्मक कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा)

मैं,....., पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... वर्तमान में ..... के पद पर .....विभाग में/कार्यालय में दिनांक ..... से संविदात्मक आधार पर कार्यरत हूँ, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मेरे द्वारा विभाग/कार्यालय को दी गई सभी जानकारी, चाहे वह लिखित हो या डिजिटल रूप में, मेरे सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है।
2. मेरे द्वारा सत्यापन, नियुक्ति, सेवा संबंधी या किसी भी कार्यालय प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र, प्रमाणिक, वैध हैं और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं।
3. मैं पूर्णतः समझता/समझती हूँ कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना या दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य, जाली या गलत पाए जाते हैं, तो मेरे विरूद्ध नियमों के अनुसार सेवा की समाप्ति सहित अनुशासनिक कार्रवाई और विधिक कार्यवाहियां संस्थित की जा सकती हैं।
4. यह घोषणा मैं स्वेच्छा से एवं बिना किसी दबाव के कर रहा/रही हूँ और इसके परिणामों से पूर्णतः अवगत हूँ।

दिनांकः
स्थानः

संविदात्मक कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम––––––––––––––––––

कर्मचारी पहचान संख्या––––––––

पदनामः ––––––––––––––––––

विभाग/कार्यालय––––––––––

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

12055—L.R.—H.G.P., Pkl.